राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1 निग0 संख्या – 870/2013/भीलवाडा	13 निग0 संख्या – 987/2013/भीलवाडा
2 निग0 संख्या – 871/2013/भीलवाडा	14 निग0 संख्या – 988/2013/भीलवाडा
3 निग0 संख्या – 872/2013/भीलवाडा	15 निग0 संख्या – 989/2013/भीलवाडा
4 निग0 संख्या – 873/2013/भीलवाडा	16 निग0 संख्या – 990/2013/भीलवाडा
5 निग0 संख्या – 874/2013/भीलवाडा	17 निग0 संख्या – 991/2013/भीलवाडा
6 निग0 संख्या – 875/2013/भीलवाडा	18 निग0 संख्या – 992/2013/भीलवाडा
7 निग0 संख्या – 876/2013/भीलवाडा	19 निग0 संख्या – 993/2013/भीलवाडा
8 निग0 संख्या – 877/2013/भीलवाडा	20 निग0 संख्या – 994/2013/भीलवाडा
9 निग0 संख्या – 878/2013/भीलवाडा	21 निग0 संख्या – 995/2013/भीलवाडा
10 निग0 संख्या – 984/2013/भीलवाडा	22 निग0 संख्या – 996/2013/भीलवाडा
11 निग0 संख्या – 985/2013/भीलवाडा	23 निग0 संख्या – 997/2013/भीलवाडा
12 निग0 संख्या – 986/2013/भीलवाडा	
मै0 ढुंढीराज टेक्सटाईल्स	क्रम संख्या 1 में प्रार्थी
मै0 शनशाईन सुटिंग्स	क्रम संख्या 2 में प्रार्थी
मै0 भीकमचन्द सुरेश कुमार	क्रम संख्या 3 में प्रार्थी
मै0 तनीस टैक्सटाईल्स	क्रम संख्या 4 में प्रार्थी
मै0 पूजा एन्टरप्राईजेज	क्रम संख्या 5 में प्रार्थी
मै0 एकता फेब्रिक्स	क्रम संख्या 6 में प्रार्थी
मै0 हेमलता शर्मा पत्नी शंकरलाल	क्रम संख्या 7 में प्रार्थी
मै0 पाटोदिया ट्रेडर्स	क्रम संख्या 8 में प्रार्थी
मै0 जितेन्द्र ट्रेडर्स	क्रम संख्या 9 में प्रार्थी
मै0 मधुबाला सुर्या पत्नी अशोक कुमार	क्रम संख्या 10 में प्रार्थी
मै0 वरटेक्स सुल्ज	क्रम संख्या 11 में प्रार्थी
मै0 विमल टेक्सटाईल्स	क्रम संख्या 12 में प्रार्थी
मै0 गीतादेवी पत्नी रामेश्वलाल	क्रम संख्या 13 में प्रार्थी
मै0 सनसिटी सुटिंग्स	क्रम संख्या 14 में प्रार्थी
मै0 विनय सिन्कोटेक्स	क्रम संख्या 15 में प्रार्थी
मै0 बहुवाला एन्टरप्राईजेज	क्रम संख्या 16 में प्रार्थी
मै0 रामेश्वरलाल काबरा	क्रम संख्या 17 में प्रार्थी
मै0 किरण लाठी पत्नी शिवप्रकाश	क्रम संख्या 18 में प्रार्थी
मै0 सेवलोन सिन्थेटिक्स	क्रम संख्या 19 में प्रार्थी
मै0 एस जी टैक्सटाईल्स	क्रम संख्या 20 में प्रार्थी
मै0 कल्पना सोनी पत्नी अमित सोनी	क्रम संख्या 21 में प्रार्थी
मै0 प्रीमियर सिन्थेटिक्स	क्रम संख्या 22 में प्रार्थी
मै0 कुसुम जैन पत्नी विमल जैन	क्रम संख्या 23 में प्रार्थी

बनाम

1 उपपंजीयक, भीलवाडा 2 अध्यक्ष, वस्त्र व्यापारी बाजार निर्माण सहकारी समिति लि0	सभी प्रकरण में अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक	........प्रार्थीगण की ओर से.
श्री डी पी औझा, उप–राजकीय अभिभाषक श्री नारायण सिंह– अभिभाषक	अप्रार्थी विभाग की ओर से अप्रार्थी 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 6/10/2015

निर्णय

लगातार.........................2

-35-

उक्त सभी निगरानियां प्रार्थी द्वारा उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) वृत– भीलवाडा (जिसे आगे "कलेक्टर" कहा जायेगा) के निम्नाकिंत प्रकरणों में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.07.2006 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

कम संख्या	निगरानी संख्या	कलेक्टर के प्रकरण संख्या
1	870/2013/भीलवाडा	43/2001
2	871/2013/भीलवाडा	11/2001
3	872/2013/भीलवाडा	38/2001
4	873/2013/भीलवाडा	80/2001
5	874/2013/भीलवाडा	68/2001
6	875/2013/भीलवाडा	86/2001
7	876/2013/भीलवाडा	66/2001
8	877/2013/भीलवाडा	51/2001
9	878/2013/भीलवाडा	33/2001
10	984/2013/भीलवाडा	17/2005
11	985/2013/भीलवाडा	12/2005
12	986/2013/भीलवाडा	88/2001
13	987/2013/भीलवाडा	57/2001
14	988/2013/भीलवाडा	26/2001
15	989/2013/भीलवाडा	40/2001
16	990/2013/भीलवाडा	18/2001
17	991/2013/भीलवाडा	56/2001
18	992/2013/भीलवाडा	60/2001
19	993/2013/भीलवाडा	70/2001
20	994/2013/भीलवाडा	22/2005
21	995/2013/भीलवाडा	55/2001
22	996/2013/भीलवाडा	71/2001
23	997/2013/भीलवाडा	82/2001

इन समस्त निगरानियों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उप पंजीयक भीलवाडा ने कलक्टर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यू क्लाथ मार्केट, भीलवाडा में एक दुकान, नगर विकास न्यास, भीलवाडा से क्रय की है। नगर विकास न्यास, भीलवाडा के आंवटन पत्र के पैरा संख्या 14 के अनुसार उक्त दुकानें, संस्था (वस्त्र व्यापारी बाजार निर्माण सहाकारी समिति,भीलवाडा) के माध्यम से प्रार्थीगण के नाम पर किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण का नाम नगर विकास न्यास, भीलवाडा को संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचि में दर्ज है तथा आंवटन पत्र के अनुसार आंवटन पत्र के पैरा 14 में स्पष्ट है कि आंवटन उक्त प्रार्थीगण को हुआ है न कि संस्था को। नगर विकास न्यास, भीलवाडा के आंवटन पत्र में प्रस्तुत सदस्यों की सूचि की आड में संस्था ने इस सम्पति को स्वयं को आंवटित मानकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर दुकानों का कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया। उपपंजीयक द्वारा इसे कन्वेन्स है तथा पंजीयन अधिनियम 1998 की धारा 17 के तहत उक्त सम्पति का विक्रय विलेख पंजीबद्ध कराया जाना आवश्यक है चुंकि समिति द्वारा सम्पति का विक्रय विलेख पंजीबद्ध नहीं कराया है अतः प्रार्थीगण से मूल दस्तावेज तलब कर समुचित मुद्रांक की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। कलेक्टर द्वारा

-362

लगातार..........................3

प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तथा यह कहते हुए कि प्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है आदेश दिनांक 15.07.2006 पारित कर दिया गया। कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानिया हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर के आदेश दिनांक 15.07.2006 के विरूद्व निगरानियां पेश करने में हुए विलम्ब बाबत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थीगण निगरानीकर्ता श्री मदनलाल गुर्जर एवं अप्रार्थी विभाग के उपराजकीय अभिभाषक श्री डी पी औझा व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री नारायण सिंह अभिभाषक उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराते हुए निवेदन किया कि कलेक्टर द्वारा रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर प्रार्थीगण को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाये प्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित आदेशिका में अंकित कर विभागीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुन कर आदेश पारित किये गये है, जो विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत राजस्थान सरकार बनाम गीतारानी **2002 (1) आर.आर.टी. 81** तथा राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत **1996 आर.आर.डी. 503** में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला पेश किया गया।

विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर द्वारा यह मानते हुए कि नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा संस्था को भूमि आंवटित की गयी थी तथा इसी आधार पर समिति द्वारा अपने सदस्यों के नाम पर दुकानों क्रय कर, नगर विकास न्यास द्वारा उन्हे अनुज्ञापत्र/पट्टा विलेख जारी कराया जाना था परन्तु समिति अपने उक्त कृत्य में असफल रहीं एवं सीधे ही अपने सदस्यों को प्रश्नगत दुकान के बाबत एक इकरारनामें पर दुकान के निर्माण पेटे निश्चिम राशि प्रार्थीगण से ले लिये तथा उसको कब्जा भी सुपुर्द कर दिया। व उक्त इकरारनामा के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार सभी अंशधारी इसके स्वामी है फिर भी अंशधारियों की इच्छानुसार उन्हे आवंटित दुकान के मालिकाना हक की रजिस्ट्री कॉपरेटिव कानून अथवा प्रशासनिक व्यवस्थायें स्वीकृति देती है तो द्वितीय पक्ष के खर्च पर प्रथम पक्ष रजिस्ट्री करवा देगा। इस प्रकार उक्त दस्तावेज पर कन्वेन्स की दर से डयूटी मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क का आरोपण कर दिया गया। वकील प्रार्थी का कहना है कि सहकारी समिति के अध्यक्ष को निर्णय दिनांक 15.07.2006 की जानकारी होने पर विद्वान कलक्टर मुद्रांक वृत, भीलवाडा के समक्ष अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 15.07.2006 बिना नोटिस तामील

करवाये पारित किया गया होने से निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना पत्र को विद्वान कलक्टर ने अपने आदेश के द्वारा ठोस व पर्याप्त आधारों पर प्रस्तुत नहीं किया जाना मानकर निरस्त कर दिया। वकील प्रार्थी का कहना है कि यह आदेश भी पीठ पीछे किया गया है व इसके लिये भी विद्वान कलक्टर ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। उपरोक्त के आधार पर वकील प्रार्थी का कहना है कि विद्वान कलक्टर का निर्णय दिनांक 15.07.2006 विरूद्ध न्याय नियम व रिकार्ड के होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी कहना है कि चूंकि सारी कार्यवाही उन्हे सुने बिना की गयी है इसलिये भी आदेश एकपक्षीय होने से निरस्तनीयं है। उनका यह भी कहना है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की जांच नहीं की और मात्र रेफरेन्स को आधार मान कर आदेश जारी किया है जो अर्थहीन, अव्यवहारिक व विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कलक्टर द्वारा इस बात पर भी गौर नहीं किया गया कि मुद्रांक अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 234/2004 उप पंजीयक भीलवाडा बनाम नगर विकास न्यास भीलवाडा पर सहकारी समिति के मध्य एक वाद चला था जिसमें प्रश्नगत सम्पति रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा औद्योगिक (161 दुकानें) का बाजार मूल्य निर्णय दिनांक 26.04. 2005 मं निर्धारित किया जाकर मुद्रांक कर व शास्ती अप्रार्थी संख्या 2 पर आरोपित की गयी थी जो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रकरण संख्या 234/2004 के निर्णय के अनुसार जमा करा दी गयी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 जो प्रश्नगत सम्पति का स्वामी है के द्वारा एक बार बाजार मूल्य से मुद्रांक कर अदा कर दिया गया हो तो पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार उप पंजीयक भीलवाडा को नहीं था। अतः उपपंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स, संधारण योग्य नहीं था। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कलक्टर द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी प्रश्नगत सम्पति का पजेशन होल्डर हो कर अंशधारी को प्रश्नगत सम्पति का मालिक या स्वामी नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत सम्पति का पूर्ण स्वामित्व समिति वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 के पास है। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य व्यवस्थाओं हेतु किये गये इकरारनामे को कन्वेन्स डीड नहीं माना जा सकता और न ही इसके आधार पर मुद्रांक कर व शास्ती प्रार्थी से वसूली जा सकती।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि कलेक्टर के आदेश के विरूद्व निगरानियां पेश करने में हुए विलम्ब बाबत निगरानियों के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख कर दिया गया है अतः विलम्ब को कण्डोन करते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। अपने इन कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत

.३७० लगातार.........................5

निगरानियां स्वीकार कर कलेक्टर के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 श्री नारायण सिंह ने वकील प्रार्थी की बहस से सहमति व्यक्त करते हुये आग्रह किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2006 को निरस्त किया जाय।

उप राजकीय अभिभाषक श्री डी पी औझा का कहना है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को नोटिस तामील हो चुका था। ऐसी स्थिति में यह मान लेना कि प्रकरण में तामील नहीं हुई है उचित नहीं है। उनका कहना है कि चूंकि नोटिस का विधिवत तामील हो चुका है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय उचित है और इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानिया निरस्त किये जाय।

अपने रिज्योइण्डर आरग्यूमेन्ट में वकील प्रार्थी का कहना है कि जाप्ता दीवानी आदेश 05 नियम 17 में तामील की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दी गयी है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना नहीं की और न ही जरिये नोटिस अखबार के मुद्रांक नियमों से कोई सूचना जारी की है इसलिये निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2006 को अपास्त किया जाय।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा रिकोर्ड का परिशीलन किया गया।

इन प्रकरणों में कलेक्टर के निगरानी अधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानियों के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानियां प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए निगरानियां अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में नोटिस कई बार जारी हुये है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि केता/विकेता की अनुपस्थिति में आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है और विकेता निर्णय की तिथि से, पूर्व की तिथि से अनुपस्थित रहे है। अतः कलेक्टर द्वारा केता/विकेता की अनुपस्थिति में पारित किया गया आक्षेपित निर्णय **"नैसर्गिक न्याय"** के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2002 (1) आर.आर.टी. 81** तथा माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत **1996 आरआरडी 503** के निर्णय के आलोक में, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार करके, कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ **"प्रतिप्रेषित"** किया जाता है कि वें इस प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को सुनवायी का पुर्नः समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी विधिक बिन्दूओं व तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्रकरणों को गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णित करे।

उपर्युक्तानुसार प्रार्थीगण की समस्त निगरानियां स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर को उपर्युक्त विवचेना के अनुसार प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

-३७२

(बी.के.मीणा)

अध्यक्ष